



डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

पत्रांक: 44-22 / एन.एल.यू.लखनऊ / प्रशा0 / यू0-34 / 2020
दिनांक: 11/01/22

नोटिस

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में निवासित सभी विद्यार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर से अनावश्यक कारणों से बाहर ना जाएं। यदि आवश्यक हो तो सम्बंधित वार्डन/सहायक वार्डन से अनुमति लेकर ही बाहर जाएं। परिसर में किसी भी स्थान पर जमघट ना लगायें एवं छात्रावासों में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

यदि कोई भी विद्यार्थी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो, उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

(अनिल कुमार मिश्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. वार्डन-इन-चीफ, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. संयुक्त कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वार्डन/सहायक वार्डन, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. सहायक कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड के माध्यम से।

(अनिल कुमार मिश्र)
कुलसचिव